

शिवनाथ व्यवसायिक परिसर में अवैध पार्किंग को लेकर भिलाई निगम ने की कार्रवाई, 65000 रुपए लगाया जुर्माना, दुकान सील करने की दी चेतावनी

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई ने आज शिवनाथ व्यवसायिक परिसर में अवैध पार्किंग को लेकर जुर्माना की कार्रवाई की। सुमित बाजार और ईशान ऑटो को 65000 रुपए का जुर्माना लगाया। उल्लेखनीय है कि अपने पार्किंग स्थल पर पार्किंग न कराकर अन्य स्थानों में पार्किंग की करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस अवैध पार्किंग से सड़कों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ गया था जिसको देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई की तोड़फोड़ दस्ता की टीम ने आज आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर निरीक्षण करते हुए कार्रवाई की। दोनों ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अवैध पार्किंग नहीं कराने की समझाइश दी गई। सुमित बाजार से 15000 जुर्माना तथा ईशान ऑटो से 50000 रुपए जुर्माना लिया गया। आज की कार्रवाई में जोन आयुक्त मनीष गायकवाड, सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर, बालकृष्ण नायडू एवं मलखान सिंह सोरी आदि मौजूद रहे।

